न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/401
मिसलनम्बर–108 / 2024

श्रीमती मन्जू नायक आयु 48 वर्ष पत्नी श्री महावीर नायक निवासी देवली अरब रोड बोरखेड़ा तहसील लाडपुरा कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1.गणेशचंद पुत्र औंकार जाति बैरवा निवासी म0नं0 990 आर.के.पुरम कोटा
2.अनूप पुत्र जगदीश जाति बैरवा
3.पंकज पुत्र जगदीश जाति बैरवा निवासीगण रामदेव जी के मंदिर के पास मुक्ति मार्ग नयापुरा कोटा
4.अनमोल कुमार बैरवा पुत्र कस्तूरचंद जाति बैरवा
5.प्रकाशचंद बैरवा पुत्र कस्तूरचंद जाति बैरवा
6.प्रहलाद बैरवा पुत्र कस्तूरचंद जाति बैरवा
7.मन्जू बैरवा पुत्री कस्तूरचंद जाति बैरवा
8.मेनका बैरवा पुत्री कस्तूरचंद जाति बैरवा
9.मनीष कुमार पुत्र कस्तूरचंद जाति बैरवा
10.मनोज कुमार पुत्री कस्तूरचंद जाति बैरवा
11.मोनू बैरवा पुत्री कस्तूरचंद जाति बैरवा निवासीगण रामदेव जी के मंदिर के पास मुक्ति मार्ग नयापुरा कोटा
12.मीना पत्नी स्व0 पूरणचंद जाति बैरवा
13.योगेश पुत्र पूरणचंद जाति बैरवा
14.रिंकी पुत्री पूरणचंद जाति बैरवा
15.विकास पुत्र पूरणचंद जाति बैरवा
16.राजवीर सिंह पुत्र रणवीर सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक रणवीर सिंह जाति बैरवा निवासीगण रामदेव जी के मंदिर के पास मुक्ति मार्ग नयापुरा कोटा
17.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज

–अप्रार्थीगण

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 5/12/25

उपस्थितिः–
1.श्री संजय शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री अनुराग गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीनी एवं प्रतिपक्षीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की नया खाता संख्या 17, पुराना खाता संख्या 38 के ख0नं0 546 रकबा 1.89 है0 एवं ख0 नं0 564 रकबा 2.60 है0 कुल 4.49 है0 आराजी वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब पटवार हल्का डडवाड़ा, भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डडवाडा तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, उक्त आराजी में प्रार्थीनी का 3/5 हिस्सा, प्रतिपक्षी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा, प्रतिपक्षी संख्या 2 लगायत 3 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, प्रतिपक्षी संख्या 4 लगायत 11 का प्रत्येक का 1/80 हिस्सा तथा प्रतिपक्षी संख्या 12 लगायत 16 का प्रत्येक का 1/50 हिस्सा निहित चला आ रहा है, प्रार्थीनी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 16 उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है एवं अपने हिस्से की आराजी के काबिज काश्त है। प्रतिपक्षी 1 लगायत 16 प्रार्थीनी को उसके हिस्से की आराजी को काश्त करने में आये दिन व्यवधान पैदा करते हैं इसलिये प्रार्थीनी का प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 16 के साथ संयुक्त रूप काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रार्थीनी ने प्रतिपक्षीगण से उक्त आराजी को कई बार विभाजन करने को कहा किन्तु प्रतिपक्षीगण हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते रहते है। दिनांक 01.11.2024 को प्रतिपक्षीगण कुछ व्यक्तियों को लेकर उक्त आराजी पर आये एवं उक्त आराजी में आवासीय प्लानिंग करने को आमादा हो गये जिस पर प्रार्थीनी ने प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 15 से उक्त आराजी का विभाजन करवाये बिना प्लानिंग नहीं करने बाबत मना किया तथा उक्त आराजी का विभाजन करने को कहा तो प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 15 से लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये और उन्होंने कहा कि वे तो उक्त आराजी पर प्लानिंग करके उसे भूखण्डों में विभक्त करेंगे तथा उक्त आराजी को भूखण्ड काटकर विक्रय कर देंगे। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 16 को उक्त आराजी को विभाजित करवाये बिना संयुक्त खाते की आराजी पर प्लानिंग करे एवं उक्त आराजी को अकृषि में परिवर्तित करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 16 अपने उक्त अवैधानिक कृत्य में सफल हो गये और उन्होंने उक्त आराजी को आवासीय परिवर्तित कर दिया एवं उक्त आराजी पर भूखण्ड काटकर विक्रय कर दिये तो प्रार्थीनी अपने हिस्से की आराजी से महरूम हो जायेगी। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 16 के अनुचित कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा कई वाद विवाद पैदा होंगे तथा प्रार्थीनी को ऐसी अपरिमित हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में नहीं हो सकेगी। प्रार्थीनी का केस प्रथम दृष्टाया सही एव सच है, सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है यदि प्रतिपक्षीगण ने उक्त आराजी को अकृषि में परिवर्तित कर भूखण्डों के रूप में विक्रय कर दिया तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीनी को ही होगी। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद प्रार्थीनी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिपक्षी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

लगायत 16 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे आराजी नया खाता संख्या 17, पुराना खाता संख्या 38 के ख0नं0 546 रकबा 1.89 है0 एवं ख0नं0 564 रकबा 2.60 है0 कुल 4.49 है0 आराजी वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब पटवार हल्का डडवाडा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लाडपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा में प्रार्थीनी के 3/5 हिस्से से प्रार्थीनी को बेदखल नहीं करे एवं उस पर कब्जा नहीं करे, प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 16 उक्त आराजी को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे तथा उक्त आराजी में भूखण्ड काटकर विक्रय नहीं करें। उक्त कृत्य ना तो प्रतिपक्षी नं0 1 लगायत 16 स्वयं करे, ना ही अपने किसी प्रतिनिधि अथवा कर्मचारी से करावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हिस्से की भूमि बाबत कब्जे काश्त में कभी कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया गया है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन किये जाने में प्रतिपक्षीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है, न ही प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थिया को कभी भी उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन किये जाने से इंकार किया है। सम्मानीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात के सम्बंध में प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण का हिस्सा निर्धारित किया जा चुका हैं प्रतिपक्षीगण उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार टीनेन्ट है जिन्हे उनके हिस्से की भूमि को हर प्रकार से उपयोग उपभोग हस्तान्तरण आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कानूनन खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में सर्वथा गलत एवं मनगंढत रूप से तथ्यों का अंकन किया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को उपरोक्त कृषि आराजीयात के उपयोग उपभोग से वंचित करने तथा उन्हे उनके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित करने के ध्येय से तथा उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात को विवादस्पद बनाये जाने की गरज से दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिपक्षीगण को उपरोक्त आराजीयात का विभाजन किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीया ऐनकेन प्रकारेण सम्मानीय न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर उसकी आड में प्रतिपक्षीगण को उनके हिस्से एवं खाते की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात से बेदखल करना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की आड में यदि प्रतिपक्षीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रतिपक्षीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से किया जाना संभव नही होगा। इस कारण से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बहस प्रार्थना–पत्र सुने जाने के पश्चात् पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस के तर्को पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन अनुसार हम पाते है कि उभय पक्षकारान उपरोक्त वर्णित आराजी के सहखातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से इस बात की पुष्टि होती है कि विवादित आराजी के खातेदारों के मध्य भूमि का विभाजन नही हुआ है। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा वाद ग्रस्त उक्त आराजी पर प्लानिंग करके उसे भूखण्डों में विभक्त कर उक्त आराजी को भूखण्डों में काटकर विक्रय कर देंगे। तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। चूंकि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दष्टया मामला बनना पाया जाता है जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है यदि दौराने वाद उक्त विवादित आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो अप्रार्थीगण के बजाय प्रार्थी को अधिक असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। दौराने वाद पक्षकारान के हक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है,जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है, जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है, चूंकि प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया गया है। अतः अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के उक्त आराजी में निहित अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के हक में प्रमाणित है। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा वाद ग्रस्त आराजी को भूखण्डो परिवर्तित कर दिया तो प्रार्थी को विवादित आराजी में अपने निहित अधिकारों से वंचित रहना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम रंगतलाब उर्फ कालातलाब, पटवार हल्का डडवाडा, भू०अभि०नि0क्षेत्र लाडपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा में स्थित भूमि खाता संख्या नया 17 पुराना 38 खसरा नम्बर 546 रकबा 1.89 हैक्टर खसरा नम्बर 564 रकबा 2.60 हैक्टर कुल 2 किता कुल रकबा 4.49 हैक्टर कृषि आराजी को अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित कर भूखण्डो में बेचान नही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 5/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा